## अंतरिम कार्यवाही दिनांक 16.04.18

अनावेदक / अभियुक्त महेंद्र की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई बावत् आवेदन पत्र पर से दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

आवेदक / राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अनावेदक / अभियुक्त महेंद्र की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / अभियुक्त महेंद्र की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने अर्थदण्ड राशि 1000 / — रूपये की वसूली हेतु लम्बित इस विविध प्रकरण की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का निवेदन इस आधार पर किया गया कि उक्त मामले में अभियुक्त महेंद्र को माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के किमिनल अपील नंबर 935 / 2011 निर्णय दिनांक 21.09.12 के द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है और उक्त संबंध में निर्णय की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की एवं उसकी सत्यता के संबंध में अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में उभयपक्ष को सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा सत्रवाद क्रमांक 212/11 में घोषित निर्णय दिनांक 17.10.11 के अनुसार अभियुक्त महेंद्र पुत्र बाबूलाल नाई को धारा 302 भा0दं०सं० में आजीवन कारावास एवं 1000/— रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने के पश्चात अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं किये जाने के कारण अर्थदण्ड राशि 1000/— रूपये की वसूली हेतु यह प्रकरण प्रचलित है।

माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के क्रिमिनल अपील नंबर 935/2011 में घोषित निर्णय दिनांकित 21.09.12 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि इस न्यायालय के सत्र प्र0क0 212/11 में घोषित निर्णय दिनांकित 17.10.11 के विरुद्ध अनावेदक/अभियुक्त महेंद्र सिंह द्वारा म0प्र0 उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत आपराधिक अपील नंबर 935/2011 में दिनांक 21.09.12 को घोषित निर्णय अनुसार इस न्यायालय द्वारा उक्त सत्र प्रकरण में पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा को अपास्त करते हुये अभियुक्त महेंद्र सिंह को उक्त मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है।

अतः अभियुक्त / अनावेदक महेंद्र सिंह के विरुद्ध कथित अर्थदण्ड

की वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह विविध प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व नियत पेशी दिनांक 30.04.18 एतद् द्वारा निरस्त की जाती है। वारट जारी होने की दशा में यथाशीघ्र अदम तामील वापस हो ्म (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।